राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
(स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, जयपुर)

क्रमांक : ई33/प्रयो. सहा./भर्ती सीधी–2013/2017/387 दिनांक : 06/12/17

आदेश

श्रीमती मन्जू बोयत पत्नी श्री परमेश्वर बोयत पता–सी–27 ऑलम्पिक रोड, बिग बाजार के सामने, जोधपुर (राज0) ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी.सि.रिट पिटिशियन संख्या 11646/2015 में पारित आदेश दिनांक 01.03.17 की पालना में दिनांक 14.03.2017 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बोनस अंक जोडते हुये प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2013 में प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.17 निम्न प्रकार है:–

" The prayer in the present writ petition is for issuance of direction to the respondents to treat the experience gained by the petitioners on their respective posts as admissible for the purpose of awarding bonus marks on the basis of length of service and accordingly, allow them to participate in the further selection process with a further prayer to afford them appointment on the post of Lab Assistant with all consequential benefits.

Learned counsel for the parties agree that the controversy involved in the present writ petition is squarely covered by the ratio of judgment rendered by the Jaipur Bench of this Court in the case of Dharmendra Kumar Tailor Vs. State of Rajasthan and others (S.B. Civil Writ Petition No. 15809/2015) decided on 04.11.2016

In view of the above admitted positron, the present writ petition is also allowed in the same terms as Dharmendra Kumar Tailor (Supra)."

श्रीमती मन्जू बोयत पत्नी श्री परमेश्वर बोयत ने प्रयोगशाला सहायक भर्ती–2013 में एससी वर्ग में (आई.डी.न0 17120002984) आवेदन किया है। अभ्यर्थी/याचिकाकर्ता के पास तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र उपलब्ध नही है। अभ्यर्थीया द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर से जारी दिनांक 29.12.2009 से 30.06.13 तक(कुल कार्यावधि 3 वर्ष 6 माह 1 दिवस) सहायक कर्मचारी के पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो विज्ञप्ति की शर्तानुसार समान कार्य/समान पद का नही होने के कारण चयन समिति ने मान्य नही किया है। अतः अभ्यर्थीया/याचिकाकर्ता प्रयोगशाला सहायक पद की तकनीकी योग्यता पूर्ण नही करने के कारण चयन की पात्र नही है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.17 की पालना में याचि/अभ्यर्थीया द्वारा प्रस्तुत सहायक कर्मचारी पद का अनुभव प्रमाण पत्र समकक्ष पद के समान नही होने के कारण स्वीकार योग्य नही है।

अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2017 की पालना में याचि/अभ्यर्थीया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एतद् द्वारा अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई33/प्रयो. सहा./भर्ती सीधी–2013/2017/387 दिनांक : 06/12/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) राजस्थान, जयपुर।
3. श्री के.एल. ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधुपर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधुपर।
5. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(स्वा0) जोधपुर एवं केस प्रभारी अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. श्रीमती मन्जू बोयत पत्नी श्री परमेश्वर बोयत पता–सी–27 ऑलम्पिक रोड, बिग बाजार के सामने, जोधपुर (राज0)(रजिस्टर्ड)
8. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें.
राजस्थान, जयपुर।